न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या 210/2019 (2019/00362)

1. बरदी देवी पत्नि स्वर्गीय काना
2. गोपाल पुत्र स्वर्गीय काना
3. कैलाश पुत्र स्वर्गीय काना
4. बदाम पुत्री स्व0 काना
5. मीरा पुत्री स्वर्गीय काना

जाति कहार निवासीगण ग्राम मेहरूकलां तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान बहैसियत वारिस काबिज जायदाद मृतक काना पुत्र गोमा जाति कहार निवासी ग्राम मेहरूकलां तहसील सावर जिला अजमेर (राज)

—वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर (राजस्थान)

—प्रतिवादी

वादपत्र अंतर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान टिनेसी एक्ट
सपठित धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः— श्री मगन लाल लोधा एडवोकेट —वकील वादी
श्री तहसीलदार सावर —पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 10.03.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेहरूखुर्द तहसील सावर की जमाबंदी संवत् 2071—74 मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित हैः—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
18—18	485	0.24	चाही 2
	486	0.12	चाही 2
	490	0.03	बारानी 1
	491	0.18	चाही 2
	525	0.75	बारानी उत्तम
17—17	1205	0.40	बारानी 3
	496	0.45	बारानी 3
	89		चाही 1,जाव 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:19:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (जिला—अजमेर)

Scanned with CamScanner

(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्र.सं. 210/2019(2019/00362)
बरदी देवी बनाम राज0 सरकार
वाद पत्र अंतर्गत धारा 188,88,209आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 10.03.2021

यह आराजीयात खाता संख्या 18–18 की आराजीयात है जिसके पुराने खसरा नंबर क्रमशः 191,193/1,194 थे, इसी प्रकार का अंकन राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2041 मे दर्ज है। यह आराजीयात पूर्व मे काना पुत्र गोमा कहार निवासी मेहरूकलां के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात थी जो काना पुत्र गोमा कहार के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे चली आ रही थी व इसी प्रकार का अंकन राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होता चला आ रहा हैं। काना पुत्र गोमा कहार निवासी मेहरूकलां का देहान्त हो गया है तथा वादीगण की मृतक काना पुत्र गोमा कहार के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है। वादीगण के अलावा कोई वारिस नहीं है। आराजी वादीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। भू प्रबन्ध अधिकारियों की गलती व लिपिकीय त्रुटि से उक्त वर्णित आराजी खाता संख्या 18–18 के राजस्व रेकार्ड मे काना पुत्र गोगा कहार दर्ज कर दिया है जो कतई गलत है। जिसे दुरूस्त किया जाकर काना पुत्र गोमा कहार किया जाना न्यायोचित है।

उक्त वर्णित आराजी खाता संख्या 17–17 पूर्व मे नाहरा,काना पि0 गोमा कहार निवासी मेहरूकलां के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात थी जो दोनो भाईयों के आपसी सहमति बंटवारे मे उक्त आराजी काना पुत्र गोमा कहार के हिस्से मे आई है। परन्तु आपसी बंटवारे के समय राजस्व कर्मचारियों की गलती व लिपीकीय त्रुटि से काना पुत्र गोमा कहार के स्थान पर काना पुत्र नाहरा कहार दर्ज कर दिया गया है जो कतई गलत है जिसे दुरूस्त किया जाकर काना पुत्र गोमा दर्ज किया जाना न्यायोचित है। करीब एक माह पहले वादीगण ने पटवार हल्का के पास उक्त आराजीयात का अपने नाम नामान्तरकरण खुलवाने गये तब जानकारी हुई कि आराजी खाता संख्या 18–18 के राजस्व रेकार्ड मे पिता का नाम काना पुत्र गोगा कहार हो रखा हैं तथा आराजी खाता संख्या 17–17 मे काना पुत्र नाहरा दर्ज हो रखा है। यानि हमारे दादा का नाम उक्त वर्णित आराजी के राजस्व रेकार्ड मे गलत दर्ज हो रखा है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद की डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी जारी करने की प्रार्थना की। प्रकरण श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी को जवाब हेतु अवसर दिया जाने पर भी जवाब नहीं देने पर प्रतिवादी का जवाब बंद किया जाकर पत्रावली मे शहादत वादी करवायी गयी। वादी कैलाश पुत्र काना ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को परीक्षित करवाया ,शपथ पत्र पी.ड्बल्यू 1 है । दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 18–18 प्रदर्श पी.1 है,जमाबंदी 2041 वर्किग खाता संख्या 11–12 प्रदर्श पी.2,मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श पी03,जमाबंदी संवत् 2071–74 खाता संख्या 17–17 प्रदर्श पी04 ,जमाबंदी संवत् 2067–70 खाता नंबर 83–87 प्रदर्श पी0 5,अन्य जमाबंदी की फोटो प्रति ,सजरा प्रमाण पत्र की फोटो प्रति,आधार कार्ड की फोटो प्रति काना,पहचान पत्र राशनकार्ड फोटो प्रति ,मृत्यु प्रमाण पत्र फोटो प्रति पेश किया तथा दावा डिकरी करने की प्रार्थना की। अन्य गवाह पी.ड्बल्यु –2 रामदेव पुत्र बरदू कहार का शपथ पत्र अपने वाद पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत किया। गवाहान से प्रतिवादी [illegible] नहीं की। [illegible] की बहस सुनी गई।

वादी के लायक अभिभाषक श्री [illegible] लोधा ने अपनी बहस मे बताया कि वादवर्णित आराजी खाता 18–18 [illegible] के राजस्व रेकार्ड मे काना पुत्र गोगा कहार के स्थान पर काना पुत्र गोमा [illegible] निवासी मेहरूकलां किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:19:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला–अजमेर)

- लगातर -

Scanned with CamScanner

(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्र.सं. 210/2019(2019/00362)
बरदी देवी बनाम राज0 सरकार
वाद पत्र अंतर्गत धारा 188,88,209आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 10.03.2021

राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी तरह खाता संख्या 17–17 के खसरा नंबर 1205,496,89 के राजस्व रेकार्ड मे काना पुत्र नाहरा कहार के स्थान पर काना पुत्र गोमा कहार निवासी मेहरूकलां दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड सही किया जावे इस आशय की डिकरी जारी की जावे। पैरोकार सरकार तहसीलदार सावर ने विर्तक प्रस्तुत करते हुए वादी के वाद पत्र अनुसार दावा डिकरी किये जाने मे कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादी संख्या 03 कैलाश द्वारा दिए गए शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वादवर्णित आराजी खाता 18–18 के खसरा नंबर 485,486,490,491,525 के राजस्व रेकार्ड मे काना पुत्र गोगा कहार के स्थान पर काना पुत्र गोमा कहार , खाता संख्या 17–17 के खसरा नंबर 1205,496,89 के राजस्व रेकार्ड मे काना पुत्र नाहरा कहार के स्थान पर काना पुत्र गोमा कहार निवासी मेहरूकलां किया जाकर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जावे। वाद का खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:19:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner